

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला -  
भीलवाड़ा

**::आदेश ::**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी श्रीमान्..... व भूअभिलेख निरीक्षक श्रीमान्.....की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम श्रीमान्..... पटवार हल्का श्रीमान्..... तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2077 में खाता संख्या 279 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
01	श्रीमान्	279	मांग्य पिकपा हिस्सा $\frac{1}{2}$ व $\frac{1}{8}$	मांग्य पिकपा व खाता सं. 279 में $\frac{5}{8}$ ठिके जाके का आदेश दिया जाता है

प्रभारी अधिकारी  
(उपखण्ड अधिकारी)  
करेड़ा,  
जिला-भीलवाड़ा

क्रमांक:- न्यायालय/2021/017

दिनांक:- 21/12/2021

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री

प्रभारी अधिकारी  
(उपखण्ड अधिकारी)  
उपखण्ड अधिकारी